

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की दिप्पणी सहित
1	2	3
28/12/2024	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करने अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 41 प्लॉट सं०- 10/1 रकबा 1.20 ए० पर मामिन मियां पिता रसूल मियां के द्वारा जोत कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा अनुमण्डल पदाधिकारी बन्दोबस्ती वाद सं० 150/1996-97 प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का मांग पंजी II के पेज नं० 201/28 पर कायम है। रसीद 2010-11 तक निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अवैध प्रतित नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को को सदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>(नमूना)</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में
अनल अधिकारी
मनाहू, पलाहू।

विषय: - अवैध जमावड़ी के नं 147/16-17 जॉन
परिचय।

महाराज, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है

कि मैंजा रहेगा में जाकर राजस्व कागजात एवं
नक्का 31 मिलान करके अनल अधिकारी के साथ
स्पलीज जॉन मिलान जॉन में पाला कि जॉन खास
खाता नं 4। टॉर नं 10/1 रकबा 1.20 ए० पर
मोमिन मिला 310 रसूल मिला के द्वारा जोर - कोड़ मिला
जा रहा है। इनके द्वारा वही पचा अनु पदा के
वही पचा नं 150/1996-97 परतुत मिला गला
है। इस मुक्ति का मांग पंजी II के पृष्ठ नं 20/28
पर कलम है। लगान रसीद 2010-11 तक निगीत हों
इस प्रवाह इस जमावड़ी अवैध तरीक रही हो रही है
कि: इस जमावड़ी को बड़े हास्य जमावड़ी
से मुक्त मिला जा सकता है।

जमावड़ी में
मामला नं 147/16-17

27/12/25
रसूल

विश्वासभाजन
चौरेन्द्र श्रीधर
नं 30 निग
रकबा - II

अंचल अधिकारी का कार्यालय

150/1986-97

अभिलेख वाद संख्या-

117/16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कारवाई से संबंधित।

201
28
p -

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-8-रा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियाँ की जाच प्राप्त की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि -

मौजा- 28/1/7, धाना- 346, खाता संख्या- 41, प्लॉट संख्या- 10/7, रकबा- 1.20 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अताबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाचोपरांत उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिध प्रतिवेदन किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना संक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनकी कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत संक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या ...1.1.7.../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम मोमिन मिर्जा 5/10 रसूल मिर्जा
2110 - नॉटिस

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा नॉटिस रसीद 346
खाता नं०...41... खेसरा नं०...10/1... रकबा...1.20... से संबंधित आपके नाम से हो० नं०...
पंजी भाग के पृष्ठ ... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपशन्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

2
2014
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- मोमीन हिम
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- 3/10 रसूल हिम
 मौजा थाना सं० खाता सं० प्लॉट सं०
 प्लॉट नं० 346 41 10/1 1.20 एकेयर
 जमा - 2651
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०- 51/2 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है 2.2023
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती) - 147/022023
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

2

लगान रसीद संख्या

493786

रसीद निर्गत तिथि

11/2/23

वसूली वर्ष

2002/03 to 2010/11

(Signature)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आमि लोख डिप स्वाफित किया गया। प्रतिवादी डिप स्थित नहीं हुआ। अतः स्थिति में मोरी न किंदा करें, जिसकी तिथि कहें। 30/11/11	